गिरधारी लाल बनाम रामचन्द्र 57/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14/8/24	पत्रावली पेश। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/8/24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर
28/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...रिजेक्ट... की जप्ती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2019

1 गिरधारीलाल पुत्र स्व. डूंगाराम उम्र 38 साल जाति जाट निवासी ग्राम थौरासी तहसील धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र स्व. किशनाराम
2 खेमचन्द पुत्र स्व. किशनाराम
3 जमनाराम पुत्र स्व. किशनाराम
4 चावली देवी पत्नी स्व. मुकन्दाराम
5 नौरंग पुत्र भगवाना
6 मोहनी देवी पत्नी स्व. डूंगाराम
7 सुभाष पुत्र स्व. डूंगाराम उम्र 35 साल
8 छोटी पुत्री डूंगाराम
9 अनिता पुत्री डूंगाराम
10 सुभिता पुत्री डूंगाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर राज.।
11 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा कूदन तहसील धोद जिला सीकर राज. जरिये प्रबंधक।
12 भूधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 08.06.2017
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर मु.नं. 95/2013
ब्उनवानी रामचन्द्र बनाम खेमचन्द आदि

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 28.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय द्वारा मुकदमा नम्बर 95/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 3.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 3.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 3.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 2.5800 हैक्टेयर, खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 502 रकबा 2.6200 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 17.3900 हैक्टेयर वाके ग्राम थोरासी पटवार हल्का पलथाना भू. अभि. निरीक्षण क्षेत्र कूदन तहसील धोद जिला सीकर राज. में अवस्थित है, के संबंध में एक वाद पत्र बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये जवाब दावा प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं पत्रावली कायमी तनकीयात हेतु नियत थी किन्तु विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प पलथाना में नियमित वाद में अपनायी जाने वाली सम्पूर्ण प्रकियात्मक विधि को ताक पर रखते हुये मनमर्जी से दिनांक 08.06.2017 को बिना सूचना एवं सुनवाई के वाद में प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प पलथाना में पारित की गई है जबकि कानूनन राजस्व लोक अदालत कैम्प में केवल दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति एंव स्वीकृति/राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है परन्तु विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से कानून के विपरित जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस कारण अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री व निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 10.04.2017 को एवं इससे पूर्व भी पत्रावली कायमी तनकीयात हेतु नियत चली आ रही थी। तारीख पेशी दिनांक 10.04.2017 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 18.05.2017 को नियत की गई। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को उक्त तारीख पेशी में नहीं लेकर अपनी मनमर्जी से बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 08.06.2017 को राजस्व लोकर अदालत कैम्प पलथाना में नियमित वाद में अपनायी जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक विधि को ताक पर रखते हुऐ कानून के विपरित जाकर दिनांक 08.06.2017 को वाद में प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक एवं निर्णय पारित करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 डूंगाराम की मृत्यु हो चुकी थी, कानूनन **Decree against dead person is a nullity** मान्य होती है जिनके विधिक वारिसान अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 11 के रूप में पक्षकार बनाये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बरान के संबंध में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, उन खसरा नम्बरान के अतिरिक्त भी अन्य कृषि भूमियां पक्षकारान के सहखातेदारी अधिकार की है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में अन्य सहखातेदारी अधिकारी की भूमियों का वर्णन नहीं कर केवल मात्र वाद पत्र में वर्णित भूमियों के संबंध में ही गलत रूप से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के अलावा भी पक्षकारानगण की सहखातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 498, 48, 441, 485, 444, 445, 446, 447, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490 वाके ग्राम थोरासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। जिनके संबंध में भी विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन कृषि भूमियों को नजर अन्दाज कर भारी कानूनी भूल की है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवदेन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की है। अपीलांट के पास विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर है। विचारण न्यायालय ने विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन को संतोषप्रद कारण अंकित नहीं है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित तो दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 डूंगाराम का पुत्र है। डूंगाराम की मृत्यु दिनांक 15.04.2017 को हो चुकी है। विचाराधीन निर्णय दिनांक 08.06.2017 को पारित किया गया है। स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया हुआ होने से नलिटि है। विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना, सुनवाई किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय व डिकी पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कि विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर, तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर वाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर